मुख्य अभियंता–2,(गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार ।

पत्रांक– मु0अ0–2/निविदा–09–64/25 852

प्रेषक,

ई0 अनिल कुमार,
मुख्य अभियंता–2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग,

पटना, दिनाक– 31.05.25

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **गया** ।

विषय:–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमडल, **नवादा** के अधीन **शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP)** अन्तर्गत पैकेज संख्या–**RRSMP/24-25-Nawada/07** (टेन्डर आई0डी0–**139582**) **का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निमाण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक)** कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के सबंध में।

प्रसंग:–विभागीय पत्रांक–**मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–791/2025 पार्ट–1–2013 अनु0** पटना, दिनाक–28.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **नवादा** के अधीन **शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP)** अन्तर्गत पैकेज संख्या– **RRSMP/24-25-Nawada/07** (टेन्डर आई0डी0–**139582) का पथ नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निमाण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक)** आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमडल, नवादा के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार **M/S Ambika Projects (jV) (Bid ID-610547)** को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से **–6.81 (छः दशमलव आठ एक) प्रतिशत** कम पर अर्थात **32,86,27,120 (बत्तीस करोड़ छियासी लाख सत्ताईस हजार एक सौ बीस)** रूपये मात्र पर आवटित किया जाता है ।

इस निविदा के निष्पादन पर **अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक–मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–791/2025 पार्ट–1–2013 अनु0** पटना, दिनाक–**28.05.2025** के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नही होगा।
3. संवेदक के द्वारा निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये राशि एव एकरारनामा के लिए जमा की गई बैंक गारन्टी का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. Bid Validity की वैधता की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वाछित कागजातो की अद्यतन स्वच्छ एव सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एव साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय की संवेदक का नाम डीबार/काली सूची में सम्मिलित नही है।
6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेगें कि पथ का हस्तातरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नही किया गया है।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एव प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वय कर लेगे एव त्रुटि पाये जाने की स्थिति मे वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वय कर लेगे एव सुनिश्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

AP-GS-NKCPL-JV
Nivit Kumar.
Authorised Signature

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Nawada

11. कार्यारंभ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त ... एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राविधिक स्वीकृति के अनुसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।

14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।

15. इस कार्य का व्यय **शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP)** से विकलित होगा।

16. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।

17. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।

18. एकरारनामा से पहले निविदाता द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।

19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

20. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, दूरभाष संख्या (मोबाईल नम्बर) एवं ईमेल आई0डी0 कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

23. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

24. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certifate and GST Clearance Certifate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

25. कार्य के कार्यान्वन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।

26. निविदा मे यंत्र–संयत्र एवं अभियताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जॉच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र–संयत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम में यदि यंत्र–संयत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

27. विभागीय पत्रांक मु0अ0–2/निविदा–05–208/24 पटना दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

28. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–14/अ0प्र0–03–21/2021–489 अनु0 दिनांक–28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

29. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

मुख्य अभियंता–2 (गया)

पटना, दिनांक–

ज्ञापांक:–

प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमंडल, नवादा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता–2 (गया)